

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2021—पौष 7, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

क्र. 17175-327-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ५) अधिनियम, २०२१

[दिनांक २८ दिसम्बर, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ दिसम्बर २०२१ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०२१ है.

वित्तीयवर्ष २०२१-२०२२ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,१५,८४,५८,४०,६४५ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये इक्कीस हजार पांच सौ चौरासी करोड़ अठ्ठावन लाख चालीस हजार छः सौ पैतालीस होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	२५,११,३२,८०,०००	२५,११,३२,८०,०००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	२५,५०,२००	३१,११,०००	५६,६१,२००
		पूंजी	२६,७६,५०,०००	०	२६,७६,५०,०००
००२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१७,००,०००	०	१७,००,०००
००३.	पुलिस	राजस्व	५०,००,१००	०	५०,००,१००
		पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००५.	जेल	राजस्व	४,३५,००,०००	०	४,३५,००,०००
००६.	वित्त	पूंजी	९०,००,००,०००	०	९०,००,००,०००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	२५,८९,००,०००	०	२५,८९,००,०००
००८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१६,२१,१०,०००	०	१६,२१,१०,०००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व	११,००,००,००,१००	०	११,००,००,००,१००
		पूंजी	११,२३,३०,००,०००	०	११,२३,३०,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१०,००,००,००,०००	०	१०,००,००,००,०००
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व	३०,००,००,०००	०	३०,००,००,०००
०१५.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राजस्व	१,०४,००,०००	०	१,०४,००,०००
०१७.	सहकारिता	पूंजी	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
०१८.	श्रम	राजस्व	१,०५,००,००,०००	०	१,०५,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	९,३३,०४,९२,०००	०	९,३३,०४,९२,०००
		पूंजी	१,२६,२५,००,१००	०	१,२६,२५,००,१००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी	३,००,००,००,०००	०	३,००,००,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास		
	राजस्व	२,००,००,००,०००	०
	पूंजी	१८,८१,५३,००,०००	०
०२३	जल संसाधन		
	पूंजी	११,५९,५०,००,४००	०
०२४	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल		
	राजस्व	१,५०,००,००,०००	०
	पूंजी	२४,२४,००,००,०००	०
०२६	संस्कृति		
	राजस्व	२०,००,०००	०
०२९	विधि और विधायी कार्य		
	राजस्व	४,२३,००,०००	१,००,००,०००
०३०	ग्रामीण विकास		
	राजस्व	२९,५६,००,००,०००	०
०३१	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी		
	राजस्व	९२,८९,४५४	०
०३२	जनसंपर्क		
	राजस्व	४३,००,००,०००	०
०३३	जनजातीय कार्य		
	राजस्व	२००	०
	पूंजी	२००	०
०३४	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण		
	राजस्व	५०,००,०००	०
०३५	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		
	राजस्व	१,००,००,१००	०
०३६	परिवहन		
	राजस्व	१००	०

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०३८	आयुष	राजस्व	४९,७२,९९,०९१	०	४९,७२,९९,०९१
०३९	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	३,०३,००,०००	०	३,०३,००,०००
		पूँजी	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
०४०	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).	राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
		पूँजी	१००	०	१००
०४३.	खेल और युवा कल्याण	राजस्व	१०,६९,००,०००	०	१०,६९,००,०००
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	२०,००,००,१००	०	२०,००,००,१००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	१३,००,१००	०	१३,००,१००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	१,९२,०३,०००	०	१,९२,०३,०००
		पूँजी	१,४५,४८,०००	०	१,४५,४८,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	८८,००,०००	०	८८,००,०००
		पूँजी	३१,८५,४८,००,०००	०	३१,८५,४८,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	९६,०२,४१,२००	०	९६,०२,४१,२००
		पूँजी	१००	०	१००
०५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	१,४६,७५,००,०००	०	१,४६,७५,००,०००
		पूँजी	९८,४९,०००	०	९८,४९,०००
०५३.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	९८,००,००,०००	०	९८,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	२,६९,९०,२००	०	२,६९,९०,२००
०५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राजस्व	२,००,००,२००	०	२,००,००,२००
०५७.	पर्यावरण	राजस्व	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
०६२	पंचायत	राजस्व	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
०६४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	१,००,५०,२५,६००	०	१,००,५०,२५,६००
०६५.	विमानन	राजस्व	१९,००,००,०००	०	१९,००,००,०००
योग :		राजस्व :	७६,५२,६८,०१,७४५	२५,१२,६३,९१,०००	१,०१,६५,३१,९२,७४५
		पूंजी :	१,१४,१९,२६,४७,९००	०	१,१४,१९,२६,४७,९००
		वृहद-योग :	१,९०,७१,९४,४९,६४५	२५,१२,६३,९१,०००	२,१५,८४,५८,४०,६४५

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

क्र. 17175-327-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 27 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 27 OF 2021

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No.-5) ACT, 2021

[Received the assent of the Governor on the 28th December, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 28th December, 2021]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2021-2022.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No.-5) Act, 2021.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of **rupees Twenty one thousand five hundred eighty four crore fifty eight lakh forty thousand six hundred forty five** towards defraying the several charges which shall come in the course of payment during the Financial Year 2021-2022 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 2,15,84,58,40,645 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2021-2022.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(Amount in Rupees)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	25,11,32,80,000	25,11,32,80,000
001.	General Administration	Revenue	25,50,200	31,11,000	56,61,200
		Capital	26,76,50,000	0	26,76,50,000
002.	Other expenditure pertaining to General Administration Department.	Revenue	17,00,000	0	17,00,000

(1)	(2)	(3)	
		Rs.	Rs.
003.	Police		
	Revenue	50,00,100	0
	Capital	1,00,00,00,000	0
005.	Jail		
	Revenue	4,35,00,000	0
006.	Finance		
	Capital	90,00,00,000	0
007.	Commercial Tax		
	Revenue	25,89,00,000	0
008.	Land Revenue and District Administration		
	Revenue	16,21,10,000	0
012.	Energy		
	Revenue	11,00,00,00,100	0
	Capital	11,23,30,00,000	0
013.	Farmer Welfare and Agriculture Development		
	Revenue	10,00,00,00,000	0
014.	Animal Husbandry and Dairying		
	Revenue	30,00,00,000	0
015.	Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribe Welfare		
	Revenue	1,04,00,000	0
017.	Co-operation		
	Capital	5,00,00,00,000	0
018.	Labour		
	Revenue	1,05,00,00,000	0
019.	Public Health and Family Welfare		
	Revenue	9,33,04,92,000	0
	Capital	1,26,25,00,100	0
020.	Public Health Engineering		
	Capital	3,00,00,00,000	0

(1)	(2)	(3)	
		Rs.	Rs.
022.	Urban Development and Housing.		
	Revenue	2,00,00,00,000.	0
	Capital	18,81,53,00,000	0
023	Water Resources Department		
	Capital	11,59,50,00,400	0
024	Public Works-Roads and Bridges		
	Revenue	1,50,00,00,000	0
	Capital	24,24,00,00,000	0
026	Culture		
	Revenue	20,00,000	0
029	Law and Legislative Affairs		
	Revenue	4,23,00,000	1,00,00,000
030	Rural Development		
	Revenue	29,56,00,00,000	0
031	Planning, Economics and Statistics		
	Revenue	92,89,454	0
032	Public Relations		
	Revenue	43,00,00,000	0
033	Tribal Affairs		
	Revenue	200	0
	Capital	200	0
034	Social Justice and disabled Person welfare		
	Revenue	50,00,000	0
035	Micro, Small & Medium Enterprises		
	Revenue	1,00,00,100	0
036	Transport		
	Revenue	100	0
038	Ayush		
	Revenue	49,72,99,091	0

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
039	Food, Civil Supplies and Consumer Protection.			
	Revenue	3,03,00,000	0	3,03,00,000
	Capital	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
040	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)			
	Revenue	25,00,00,000	0	25,00,00,000
	Capital	100	0	100
043.	Sports and Youth Welfare			
	Revenue	10,69,00,000	0	10,69,00,000
044.	Higher Education			
	Revenue	20,00,00,100	0	20,00,00,100
046.	Science and Technology			
	Revenue	13,00,100	0	13,00,100
047.	Technical Education, Skill Development and Employment			
	Revenue	1,92,03,000	0	1,92,03,000
	Capital	1,45,48,000	0	1,45,48,000
048.	Narmada Valley Development			
	Revenue	88,00,000	0	88,00,000
	Capital	31,85,48,00,000	0	31,85,48,00,000
049.	Scheduled Caste Welfare			
	Revenue	96,02,41,200	0	96,02,41,200
	Capital	100	0	100
052.	Medical Education			
	Revenue	1,46,75,00,000	0	1,46,75,00,000
	Capital	98,49,000	0	98,49,000
053.	Public Works-Buildings			
	Revenue	98,00,00,000	0	98,00,00,000
055.	Women and Child Development			
	Revenue	2,69,90,200	0	2,69,90,200
056.	Cottage and Rural Industry			
	Revenue	2,00,00,200	0	2,00,00,200
057.	Environment			
	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
062 Panchayat	Revenue	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
064. Welfare of Backward Classes	Revenue	1,00,50,25,600	0	1,00,50,25,600
065. Aviation	Revenue	19,00,00,000	0	19,00,00,000
Total	Revenue —	76,52,68,01,745	25,12,63,91,000	1,01,65,31,92,745
	Capital —	1,14,19,26,47,900	0	1,14,19,26,47,900
	Grand Total —	1,90,71,94,49,645	25,12,63,91,000	2,15,84,58,40,645